ालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

...10../21 तारीखरजू:– 19-1-21

उनवानः– बाबूलाल बनाम कमलेश वगै0

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212

क	फर्द अहकाम	
	प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री मनोज कुमार शर्मा एडवोकेट हाजिर प्रार्थी अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थी के पक्ष मे अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नही किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दू पर वकील प्रार्थी को सुना गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के समय ही अप्रार्थी न0 1 कमलेश पुत्र मोतीलाल जागिड ब्राह्मण की और से श्री हंसराम गूर्जर एडवोकेट ने मूल दावा मे मीमो पेश कर इस पत्रावली मे उपस्थिति दर्ज कराई। वकील प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि मे सायलान को प्रार्थी के पक्ष मे अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की जावे तथा अप्रार्थी न0 1 के वकील ने अंतिरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने से अप्रार्थी न0 1 के हक प्रभावित होते है इसलिये अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जावे। अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के विषय पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनकर सायल व गैरसायल आगामी तारीख पेशी तक मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु सायल व गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। कि दिनांक 24.02.2021 तक विवादग्रस्त आराजी ख0न0 614 रकवा 0.18 है0 ग्राम धवान तहसील टोडाभीम जिला करौली मे आगामी पेशी 24.02.2021 तक मौके की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है। कि अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल को सामान्य व साधारण प्रक्रिया के साथ–साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतिया रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करे। तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र तथा रसीद प्रस्तुत भी करे। तथा बहस हेतु तैयार नही होने पर आगामी सुनवाई को अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निष्प्रभावी मानी जावेगी। प्रकरण को स्वच्छ हाथो से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियो के तहत यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है। कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामिल की उपर्युक्तानुसार ठोस कार्यवाही कर इस न्यायालय को प्रमाण पेश करे। तथा आदेश 39 नियम (3) (क) के प्रावधानो की पालना सुनिश्चित करे। अन्यथा अंतरिम आदेश को आईन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अंतर्निहित शक्तियो का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियो मे यह अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की गई है मे परिवर्तन की दशा मे संशोधित/वैकेट कर दी जावेगी। अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक ~~19.01.2021~~ 24.2.21 को पेश हो। (दुर्गा प्रसाद मीना) उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली	255-59 19-1-21

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला क

दिनांक	फर्द अहकाम
12.2.21 वास्ते तामील Rdi Ami	प्रार्थी एवं प्रार्थी वकील ने पत्रावली दावा तलब करा कर नया दावा प्रस्तुत करने की इजाजत के साथ विड्रो करा लिया है। इसलिए प्रार्थना पत्र-अस्थाई निषेधाज्ञा को आगे चलाया जाना उचित नहीं है अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दावा पत्रावली के साथ संलग्न रहे। (दुर्गा प्रसाद मीणा) उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम जिला-करौली